FORM No. III APP-A

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर मुकाम....खींवसर

.पप्पूराम बनाम जेठाराम

किस्म मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट....नं. 150 .सन्..2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	30.07.2021	
	विद्वान अधिवक्ता प्राथी ने जरिये अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है इसलिए वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना जावे, वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। तथा पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है एवं प्रार्थी के कथनानुसार वादगस्त आराजी पुश्तैनी है जिसे अप्रार्थीगण अजनबी केता को बैचान करने पर आमदा है वाद निस्तारण या बंटवाड़ा तक उक्त वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्ट्रर हो। बहक अप्रार्थीगण के विरूद्व अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारिख पेशी दिनांक 02.09.2021 तक इस आश्य कि जारी की जाती है कि मौजा पाचौड़ी के वादग्रस्त ख.न. 1 रकबा 3.5289 हैक्टेयर, ख.न. 1/951 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, ख.न.93 रकबा 11.5335 हैक्टेयर, पर आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें, ~~ईसके~~ नहीं बैचान हस्तान्तरण करे। एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी दिनांक 02.09.2021 तक पाबंद किया जाता है। नोटः– 1. उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा **DILRMP** के कार्य पर एवं 2. अन्तर्गत धारा 251, 251 अ आरटीएक्ट पर प्रभावी नहीं रहेगी। 3. उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारिख पेशी दिनांक 02.09.2021 ही प्रभावी रहेगी। अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 02.09.2021 पेश हो। सहायक कलेक्ट्रर खींवसर	
12-11-2021	वकील प्रार्थी फूलसिंह राठौड मय प्रार्थी के द्वारा पत्रावली आज तारीख पेशी पर लेने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थी फूलसिंह राठौड मय प्रार्थी	पप्पूराम Identified by [illegible]

न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर प्रार्थी ने अपना राजस्व प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पत्रावली को आगे नही चलाने एवं पत्रावली को जरिये विड्रोल खारिज किये जाने का आवेदन पेश कर पत्रावली को जरिये विड्रोल खारिज करवाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का रा० प्रा० पत्र जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

महायक कलक्टर
SDO, खींवसर